

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण

इलाहाबाद पीठ के समक्ष

**कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) नं. 5/एएलडी/2021
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत)**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

और

निम्नलिखित के व्यवस्था की योजना के मामले में:

रामाश्यामा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड

**.....डिमर्जिंग/हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कम्पनी नं. 1
के साथ**

सप्तम डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड

**.....परिणामी कम्पनी नं. 1/हस्तांतरिती कम्पनी नं. 1/आवेदक कम्पनी नं. 2
और**

अरुणप्रभा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

.....परिणामी कम्पनी नं. 2/हस्तांतरिती कम्पनी नं. 2/आवेदक कम्पनी नं. 3

**(डिमर्जिंग कम्पनी और परिणामी कम्पनी नं. 1 एवं 2 यहां के बाद
"आवेदक कंपनियां" के रूप में संदर्भित)**

**माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ के निर्देशानुसार डिमर्जिंग
कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा डिमर्जिंग कम्पनी एवं परिणामी कम्पनी नं. 1 के
अप्रतिभूत लेनदारों के बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ ने कम्पनी
आवेदन सं. सीए (सीएए)-5/एएलडी/2021 में दिये गये अपने आदेश दिनांक 7
जुलाई, 2021 एवं 24 मार्च, 2021 के माध्यम से डिमर्जिंग कम्पनी के इक्विटी
शेयरधारकों तथा डिमर्जिंग कम्पनी एवं परिणामी कम्पनी नं. 1 के अप्रतिभूत लेनदारों
की अलग-अलग बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

कथित आदेश एवं निर्देशों के अनुसरण में आगे सूचित किया जाता है कि
डिमर्जिंग/हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कम्पनी नं. 1 के इक्विटी शेयरधारकों तथा
अप्रतिभूत लेनदारों की अलग-अलग बैठक शनिवार, 28 अगस्त, 2021 को क्रमशः प्रातः
11.00 बजे एवं दोप. 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी
जिसमें कथित इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों को कथित तिथि पर
उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

जबकि, परिणामी कम्पनी नं. 1/हस्तांतरिती कम्पनी नं. 1/आवेदक कम्पनी नं. 2 के
अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक शनिवार, 28 अगस्त, 2021 को दोप. 2.00 बजे विडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें कथित अप्रतिभूत लेनदारों को
कथित तिथि पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

जैसा कि एनसीएलटी को निर्देशों के अनुसार बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की
जा रही है, कथित एमसीए परिपत्र के अनुसरण में शेयरधारक एवं अप्रतिभूत लेनदार
द्वारा बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की
सुविधा इस अधिकरण आयोजित बैठक में उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, अधिनियम की
धारा 113 के साथ पठित कथित परिपत्रों के प्रावधानों के संदर्भ में कॉर्पोरेट सदस्य
अपनी ओर से भाग लेने एवं वोट देने के लिए वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली
इस अधिकरण निर्देशित बैठक में उपस्थित होने के लिए अपना अधिकृत प्रतिनिधि
नियुक्त करने के पात्र हैं। शेयरधारक एवं अप्रतिभूत लेनदार बैठक में उपस्थित होने
एवं वोट देने के लिए ई-मेल के माध्यम से अपनी उपस्थिति का अनुरोध पत्र अपने
पहचान पत्र के साथ कथित बैठक के आयोजन के न्यूनतम तीन दिन पूर्व कम्पनी के
अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से पर्यवेक्षक के नामोदिष्ट ई-मेल आईडी
mail.monicananda91@gmail.com पर भेज सकते हैं।

उपरोक्त कथित तिथि एवं मोड में परिवर्तन के अलावा बिजनैस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी एवं
हिन्दी, लखनऊ संस्करण) में दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित अन्य जानकारी एवं
विषय-वस्तु यथावत रहेगी यह शुद्धिपत्र कथित सूचना में क्रम में पढ़ा जाएगा।

कृते रामाश्यामा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-

दिनेश गोयल

निदेशक

डीआईएन : 00226428

तिथि : 12.07.2021

स्थान : बरेली

कृते सप्तम डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-

प्रशांत अग्रवाल

निदेशक

डीआईएन : 00893887